जिलाधिकारी, खगड़िया की अध्यक्षता में दिनांक 16.03.2020 को जिला समन्वय समिति की आहूत बैठक की कार्यवाही।

उपस्थितिः–. यथा पंजी

1.आवंटन की निकासीः–

सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि उनके विभाग अन्तर्गत जो आवंटन प्राप्त है उसकी निकासी जल्द से जल्द कर लिया जाय।

(अनुपालन–सभी कार्यालय प्रधान खगड़िया / सभी तकनीकी पदाधिकारी)

2.लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमंडल, खगड़ियाः–

कार्यपालक अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण,खगड़िया को निदेश दिया गया कि लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, खगड़िया के सभी सहायक अभियन्ता, कनीय अभियन्ता एवं संवेदक की बैठक दिनांक 17.03.2020 को 11.00 बजे पूर्वाह्न में आहूत की जाय तथा अद्यतन प्रगति प्रतिवेदन के साथ बैठक में भाग लिया जाय। उन्हें यह भी निदेश दिया गया कि जिन संवेदकों द्वारा निधारित समय सीमा तक कार्य पूर्ण नहीं कराया गया है या कार्य में शिथिलता बरती जा रही है उनके विरूद्ध अब तक क्या–क्या कार्रवाई की गयी है उसका प्रतिवेदन के साथ बैठक में भाग लेगे।

(अनुपालन–कार्यपालक अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, खगड़िया)

3. कार्यालय में विद्युत भार को कम करनाः–

कार्यपालक अभियन्ता, विद्युत, खगड़िया द्वारा बताया गया कि विद्युत भार की सूची सभी विभागों को हस्तगत करा दिया गया है। सभी कार्यालय प्रधान एवं तकनीकी पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि विद्युत भार कम करने के लिए सोलर लाईट लगाने हेतु प्रस्ताव विभाग / ब्रेडा को भेजना सुंनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन–सभी कार्यालय प्रधान / सभी तकरनीकी पदाधिकारी)

4.महिला ITI कॉलेज, खगड़ियाः–

कार्यपालक अभियन्ता, भवन प्रमंडल, खगड़िया द्वारा बताया गया कि महिला ITI हेतु जमीन फरकिया चर्म उद्योग, खगड़िया के निकट उपलब्ध कराया गया है। लेकिन फरकिया चर्म उद्योग, खगड़िया द्वारा व्यवधान उत्पन्न किया जा रहा है। उन्हें निदेश दिया गया कि अंचल अधिकारी, खगड़िया से अपने सहायक अभियन्ता एवं कनीय अभियन्ता को भेजे ताकि अंचल अधिकारी द्वारा अपनी उपस्थिति में नापी कराकर जमीन उपलब्ध कराया जा सके।

(अनुपालन–कार्यपालक अभियन्ता, भवन प्रमंडल, खगड़िया / अंचल अधिकारी, खगड़िया)

5.महिला सशक्तिकरण भवन का भुगतानः–

कार्यपालक अभियन्ता, भवन प्रमंडल, खगड़िया द्वारा बताया गया कि महिला सशक्तिकरण भवन का 90 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो गया है। लेकिन उसका भुगतान अभी तक नहीं किया जा सका है। कार्यपालक अभियन्ता, भवन प्रमंडल, खगड़िया को निदेश दिया गया कि वे महिला सशक्तीकरण भवन का प्राक्कलन एवं एम0बी0 कार्यपालक अभियन्ता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, खगड़िया को उपलब्ध करा दें। कार्यपालक अभियन्ता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, खगड़िया एवं राज एश्वर्या श्री, परीक्ष्यमान् वरीय उप समाहर्त्ता, खगड़िया दिनांक 17.03.2020 को भवन निर्माण कार्य की जॉच कर प्रतिवेदित करेंगे। तदआलोक में भुगतान की कार्रवाई की जायेगी।

(अनुपालन–कार्यपालक अभियन्ता, भवन प्रमंडल, खगड़िया / कार्यपालक अभियन्ता,स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, खगड़िया / राज एश्वर्या श्री, परीक्ष्यमान् उप समाहर्त्ता, खगड़िया)

6. जल–जीवन–हरियालीः–

जल–जीवन–हरियाली से संबंधित सभी पदाधिकारियों को उनके website नोट कराया गया तथा निदेश दिया गया कि वे अपने–अपने विभाग का प्रतिवेदन website खोलकर प्रगति प्रतिदिन अपलोड करना सुनिश्चित करें।

(अनुपालन–सभी संबंधित पदाधिकारी)

7.चेक डैम्प का निर्माणः–

कार्यपालक अभियन्ता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, संख्या–1, एवं 2 खगड़िया से चेक डैम्प निर्माण हेतु प्रस्ताव भेजने के सम्बन्ध में पृच्छा करने पर बताया गया कि मोडेल नक्शा एवं प्राक्कलन

उपलब्ध कराया जाय। इस संबंध में कार्यपालक अभियन्ता, लघु सिंचाई खगड़िया की खोज की गयी तो कार्यपालक अभियन्ता, लघु सिंचाई, खगड़िया उपस्थित नहीं थे और न ही उनके कोई प्रतिनिधि उपस्थित थे। कार्यपालक अभियन्ता, लघु सिंचाई, खगड़िया के विरूद्ध प्रपत्र 'क' बनाकर विभाग को भेजने का निदेश विशेष कार्य पदाधिकारी, जिला गोपनीय शाखा, खगड़िया को दिया गया। कार्यपालक अभियन्ता, लघु सिंचाई, खगड़िया को निदेश दिया जाता है कि वे कार्यपालक अभियन्ता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल सं0–1 एवं 2, खगड़िया को मोडेल नक्शा एवं प्राक्कलन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन–कार्यपालक अभियन्ता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल सं0–1 एवं 2 ,खगड़िया/ कार्यपालक अभियन्ता, लघु सिंचाई, खगड़िया)

8. जल–जीवन–हरियाली हेतु पेड़ लगाना:–

सभी कार्यालय प्रधान एवं तकनिकी पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि 9 अगस्त, 2020 को पंचायत स्तर पर पेड़ लगाने हेतु किस–किस किस्म का कितना पेड़ चाहिए उसका प्रस्ताव बनाकर वनों के क्षेत्र पदाधिकारी, खगड़िया को दिनांक 17.03.2020 को जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, खगड़िया में भेजना सुनिश्चित करें।

(अनुपालन–सभी कार्यायल प्रधान/सभी तकनिकी पदाधिकारी)

9.अन्यान्यः–

कार्यपालक अभियन्ता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्यप्रमंडल, खगड़िया बैठक में उपस्थित नहीं थे। उनके सहायक अभियन्ता द्वारा बताया गया कि माननीय उच्च न्यायालय में प्रतिशपथ पत्र दायर करने के लिए पटना गये है। कार्यपालक अभियन्ता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, खगड़िया को निदेश दिया जाता है कि वे माननीय उच्च न्यायालय में प्रतिशपथ दायर का प्रमाणक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

कार्यपालक अभियन्ता, राष्ट्रीय उच्च पथ, खगड़िया भी बैठक में उपस्थित नहीं थे। उनके सहायक अभियन्ता द्वारा बताया गया कि वे विभागीय बैठक में गये हुए है। कार्यपालक अभियन्ता, राष्ट्रीय उच्च पथ, खगड़िया को निदेश दिया जाता है कि वे विभागीय बैठक के प्रमाणक प्रस्तुत करेंगे।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

जिलाधिकारी,
खगड़िया

ज्ञापांक 22 /विकास, दिनांक 17/3/20 16/3

प्रतिलिपिः असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, खगड़िया/अपर समाहर्त्ता, खगड़िया/उप विकास आयुक्त, खगड़िया/जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, खगड़िया/अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया एवं गोगरी/जिला शिक्षा पदाधिकारी, खगड़िया/जिला पंचायत राज पदाधिकारी, खगड़िया/प्रभारी पदाधिकारी, विधि शाखा, खगड़िया/अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, खगड़िया एवं गोगरी/जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, खगड़िया/जिला पशुपालन पदाधिकारी, खगड़िया/जिला कृषि पदाधिकारी, खगड़िया/कार्यपालक अभियन्ता, विद्युत, खगड़िया/सभी कार्यपालक अभियन्ता/जिला कल्याण पदाधिकारी, खगड़िया/उत्पाद अधीक्षक, खगड़िया/प्रभारी पदाधिकारी, मानवाधिकार एवं लोकायुक्त, कोषांग, खगड़िया/जिला अग्रणी बैंक प्रबन्धक, खगड़िया/सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, खगड़िया/DIO NIC/ जिला प्रबन्धक, डी0आर0सी0सी0, खगड़िया/सभी संबंधित पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16.3.20
प्रभारी पदाधिकारी
जिला विकास शाखा
खगड़िया

16/3
D.D.C.
Kh

जिलाधिकारी,
खगड़िया।